न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी।

In The Court of Additional Collector, Khunti

अनुसूची - 14 फार्म सं0 562
Schedule - Form No 562

आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129
Record Manual 1941 Rule 129

SAR appeal वाद सं0 07 R15 वर्ष 2017 धारा
Case No. Year Section

अपीलकर्त्ता / पू0 प0/आवेदक
Appellant / F.P./Petitioner संतोष कन्डुलना वगैरह बनाम लुबल मुण्डा वगैरह प्रतिवादी /द्वि0प0/विपक्षी Respondent / S.P./ O.P.

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
04.08.17	प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता संतोष कण्डुलना, (2) दानियल कण्डुलना दोनों के पे० श्री अधीन कण्डुलना (3) सोनी लमोमी कण्डुलना स्वामी व पत्नी- श्री अधीन कण्डुलना सभी साकिनान- कमरा सिरमटोली थाना- तोरपा जिला- खूँटी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी के न्यायालय वाद संख्या- SAR No 03/16-17 लुबल मुण्डा वगैरह बनाम संतोष कन्डुलना वगैरह में दिनांक 05.03.17 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलम्ब के लिए समयावधि आवेदन दाखिल किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल बिन्दु पर विस्तार पूर्वक बहस किया गया। अभिलेख अग्रेतर सुनवाई हेतु Admit किया जाता है। निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करें तथा	

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./ Date 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer 2	आदेश की गयी कार्रवाई मय तिथि Action taken on order with date 3
15-02-19	आवेदक एवं विपक्षी दोनों उपस्थित हैं। निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क विवादी के आलोक में आदेश पर रखा जाता है। 22/02/19 को रखें। 15/02/19	
22/02/19	आदेश पारित की जाती है। आदेश अलग से संलग्न है। निम्न न्यायालय को भेजें। 22/02/19	

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, खूँटी

SAR APPEAL - 7R -15/17-18

संतोष कन्डुलना वगैरह — आवेदकगण

बनाम्

लुकस मुण्डा वगैरह — विपक्षीगण

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
22/02/19	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गई है। यह वाद अपीलकर्त्ता संतोष कन्डुलना वो दानियल कन्डुलना पेशरान अधिन कन्डुलना वो सलोमी कन्डुलना पति अधीन कन्डुलना ग्राम–हातमादाह, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी हाल मोकाम ग्राम–कामड़ा सेमर टोली, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय वाद संख्या–S.A.R No. 03/16-17 लुकस मुन्डा, पिता–स्व० जेठेया मुण्डा वो मार्टिन मुण्डा, पिता–स्व० रेंजन मुण्डा सभी ग्राम कमड़ा सेमर टोली, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी बनाम संतोष कन्डुलना वगैरह ने दिनांक–05.03.17 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। जिसका S.A.R अपील संख्या–07 / R15 वर्ष 2017 पड़ा है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि मौजा कमड़ा, थाना न०–69, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के खाता नं०–115 एवं 116 निभिजिनल सर्वेखतियान में डुरगु मुण्डा, पिता–रूसु मुण्डा के पुण्डी मुन्डाईन जोजे सनिका मुन्डा वो लुढ़ना मुण्डा, पिता–डीन्डा मुण्डा के नाम से कामयी दर्ज है। खाता नं०–89 एवं 90 चमरा मुण्डा वो छुटू पौलूस मुण्डा पेशरान जेठेया मुण्डा वो लछुमन मुण्डा पेशरान चौथा मुण्डा वो फिरंगी मुण्डा पेशरान टाना मुण्डा के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत चडरा मुण्डा वो छुटू पौलूस मुण्डा के पिता जेठेया मुण्डा के एक बहन तथा एक भाई सनिका मुण्डा थे। बहन के दो पुत्र डुरगु मुण्डा वो लथुरा मुण्डा हुए।	

ये दोनों की मृत्यु हो गयी उनके कोई सन्तान नहीं हुए। जेठेया लछुमन मुण्डा के सहोदर भाई सनिका मुण्डा की पत्नी का नाम पुण्डी मुन्डाईन था। उनका एक पुत्र तिन्तुस मुण्डा हुए। तिन्तुस मुन्डा की एक पुत्री सलोमी हुई। सलोमी की पुत्री का शादी अधीन कन्डुलना से हुआ। जिसका दो पुत्र संतोष कन्डुलना वो दानियल कन्डुलना है। खाता नं०–115 में कुल प्लॉट–19 है जिसका कुल रकबा 12.50 एकड़ एवं खाता नं०–116 में कुल दो प्लॉट है। जिसका कुल रकबा–0.06 एकड़ है। खतियानी रैयत पुडीदा पति–सनिका मुण्डा का एक मात्र तिन्तुस मुण्डा हुए। इनकी मृत्यु के बाद खाता नं०–115 एवं खाता नं०–116 के कुल जमीन का उत्तराधिकारी होने के कारण जोहन मुण्डा एवं जोसेफ मुण्डा पिता–स्व० चडरा मुण्डा हुए तदनुसार जमीन पर खेती आबाद कर दखलकार हो गये।

विपक्षी लुकस मुण्डा वगैरह का कथन है कि मौजा कमड़ा, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के खाता नं०–115 प्लॉट नं०–3223, रकबा–1. 88 डी०, वो प्लॉट नं०–3231, रकबा–0.88 डी० वो प्लॉट नं०–3233, रकबा–0.51 डी० वो प्लॉट नं०–3044, रकबा–0.49डी० वो खाता नं०–116 प्लॉट नं०–2981, रकबा–0.10डी० वो प्लॉट नं०–2982, रकबा–0.07डी० कुल रकबा–3.80 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में उनके पूर्वजों याने डुरगु मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। विपक्षी का यह भी कथन है कि खाता नं०–89 एवं 90 दर्ज रैयत से अपनी एवं विपक्षी के विक्रेता से वंशावली दी गई है जिस पर गलत वंशावली दर्शाया गया है तथा धारा 46 सी० एन० टी० एक्ट के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त कर निबंधित बिक्री पट्टा किया गया। जो जमीन हस्तानान्तरण किया गया है। वह नियम के विरूद्ध हुआ है। लुकस मुण्डा वगैरह को यह भी कथन है कि मुण्डा जाति के पुत्री को अपने पिता के अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं बनता है। पुत्री किसी भी हालत में सम्पति को हस्तानान्तरण नहीं कर सकती है। गलत तरीके से भूमि का हस्तानान्तरण करना नियम के विरूद्ध है।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि विपक्षी लुकस मुण्डा वगैरह के नाम से उपरोक्त भूमि की वापसी हेतु धारा 71(A) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है वह नियम

के विरूद्ध हुआ है जैसा कि अपीलकर्त्ता का कथन है। दोनों पक्षों के द्वारा दर्शायें गये वंशावली का कुर्सीनामा एक दूसरे से भिन्न है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। इसके अलावे निम्न न्यायालयों का अभिलेख का भी अवलोकन किया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के सुनने तथा दाखिल किये गये कागजातों के विश्लेषण करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादास्पद भूमि पर विपक्षी गण का दावा करना स्वीकार के योग्य है। ऐसी परिस्थिति में उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, खूँटी के S.A.R वाद संख्या–03/16–17 पर पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन पत्र को खारीज किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, खूँटी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

22/02/19

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

लेखापित,

22/02/19

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी